-प्रेस नोट-

दिनांक: 24-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चोरी की तीन अलग-अलग घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 स्विफ्ट कार व 1.5 किलोग्राम तांबा बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. **दिनांक 18.06.2026 को** वादी श्री धर्मेन्द्र पुत्र किशन सिंह निवासी हलवाना की लिखित तहरीर बाबात अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से अलमारी मे रखे जेवर व बच्चे की गुलक से दो हजार रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 244/26 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
2. **दिनाँक 28.06.2026 को** वादी श्री देवपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिशनपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी व अन्य लोगो के खेत मे लगे ट्यूबवैल के स्टार्टर व केबिल से तार चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 254/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे धारा 303(2) का विलोपन किया गया। तथा धारा 331(4)/305ए बीएनएस की वृद्धि की गयी।
3. **दिनांक 19.07.2026 को** वादी श्री तसलीम पुत्र सलीम निवासी सरदाहेडी थाना फतेहपुर सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में रात्रि मे घुसकर स्विफ्ट डिजायर कार न0 UK-11-8223 चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 285/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण **1. बिट्टू उर्फ माज पुत्र इमरान नि0 ग्राम कुलहाल थाना विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखंड** व **2. लड्डू उर्फ साहिल पुत्र लुकमान नि0 ग्राम सरदहैडीसरदहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को जीवाला कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी की गयी 01 कार न0 UK11 8223 व ट्यूबवेल से चोरी किया गया 1.5 किलोग्राम तांबे का तार बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 15/06/2026 हम दोनों व हमारे एक अन्य साथी ने मिलकर ग्राम हलवाना मे एक घर से एक मंगलसूत्र व एक जोडी पाजेब व 2000 रू चोरी किये थे। चोरी किये जेवर को हमने राह चलते व्यक्ति को बेचकर रूपये आपस में बाँटकर खर्च कर दिये थे व दिनांक 27.06.2026 की रात्रि में हम तीनों ने ग्राम बिशनपुर के जंगल में बनी ट्यूबैल के ताले तोडकर कटआउटों को जलाकर तांबे को निकाल लिया था तथा दिनांक 18/07/2026 की रात्रि को हम तीनों ने मिलकर ग्राम सरदाहेडी में

गांव के बाहर बने एक घर से जंजीर काटकर एक कार चोरी की थी। कार को हम ने एक बाग में खडी कर छिपा दी थी जिसे हम आज बेचने के लिये जा रहे थे तभी पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –</u>

1. बिट्टू उर्फ माज पुत्र इमरान नि0 ग्राम कुलहाल थाना विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखंड ।

2. लड्डू उर्फ साहिल पुत्र लुकमान नि0 ग्राम सरदहैडीसरदहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- *01 कार स्विफ्ट डिजायर (रजि0 नं0 UK11 8223)*
- *1.5 किलोग्राम तांबा*

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 254/26 धारा 331(4)/305(ए)/317(2)/324(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

2. मु0अ0सं0 285/26 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

3. मु0अ0सं0 244/26 धारा 305ए बीएनएस थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

2. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

3. उ0नि0 बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

4. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

5. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

6. का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से मन्दिर से चोरी किये गये घण्टे, लोटा, दीपक, कान्हाजी का झूला व इन्वर्टर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2026 को श्री प्रवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व सीताराम शर्मा निवासी भरत विहार कालोनी मल्हीपुर रोड सहारनपुर की तहरीर दिनांक 23.07.2026 को अज्ञात चोरों द्वारा शिव मंदिर भरत विहार कॉलोनी मे से लोटे पीतल बडे दीपक पितल घन्टी पीतल इन्वरर्टर व कान्हा जी का सिंहासन चोरी कर लेने के सम्बन्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 365/26 धारा 305(d)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त चोरी की घटना के अनावरण हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटनाओं के अनवारण व वाहन चोरो की गिरफ्तारी हेतु घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये व पूर्व मे वाहन चोरी मे जेल गये अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी। इसी क्रम मे दिनांक 24.07.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना का खुलासा करते हुये अभियुक्तगण 1. तालिब उर्फ मिंडा पुत्र गुलफाम निवासी मोहल्ला दौडबसी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (थाना कोतवाली देहात का प्रचलित एचएस) 2. आबिद पुत्र युनुस निवासी मोहल्ला दरबारा ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 3. गुलबहार पुत्र गुलफाम निवासी मोहल्ला दरबारा ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को स्मार्ट सिटी कॉलोनी के रास्ते पर बेहट रोड गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मन्दिर के चोरी किया गया सामान लोटे, दीपक, घटीं, इन्वेटर व कान्हाजी का झूल्हा बरामद हुया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमा में धारा 317(2) बीएनएस की वृध्दि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. तालिब उर्फ मिंडा पुत्र गुलफाम निवासी मोहल्ला दौडबसी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. आबिद पुत्र युनुस निवासी मोहल्ला दरबारा ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. गुलबहार पुत्र गुलफाम निवासी मोहल्ला दरबारा ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
2. उ0नि0 निप्पी सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
3. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
4. है0का0 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।

5. है0का0 1150 विकास थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
6. का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 24.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा ऑनलाईन साईबर ठगी कर पीडित के खाते मे निकाली गई 7100 /- रूपये की धनराशि करायी वापस

अवगत कराना है कि आवेदक मौबिन अहमद पुत्र यासीन निवासी चौधरी मेडिकल वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 7100 /- रूपये धोखाधडी करके साईबर ठगी के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर दिनांक 16/10/2025 को साईबर कम्पलैन्ट नम्बर 33110250141775 के 7100/- रुपये कटने के सम्बन्ध मे शिकायत प्राप्त हुयी थी। प्राप्त शिकायत की जाँच थाना हाजा पर गठित साइबर हैल्प डैस्क थाना कुतुबशेर द्वारा की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाना कुतुबशेर पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी समस्त धनराशि 7100 /- रूपये मौबिन अहमद उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी है। मौबिन अहमद उपरोक्त द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. म0का0 2130 राखी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. म0का0 983 मीनू गिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. म0का0 887 रिंकी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. का0 1375 दिव्य प्रताप सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 24.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.07.2026 को 01 वारन्टी अभियुक्त ***फुरकान पुत्र रुकमद्दीन निवासी सतपुरा थाना बिहारीगढ सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0 4191/25,मु0अ0स0 120/2001 धारा 379/411 भादवि 21(4) खनन अधि0) को ग्राम सतपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फुरकान पुत्र रुकमद्दीन निवासी सतपुरा थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री हवन सिंह चीमा थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

3. का0 2283 राजकुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

दिनांक 24-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा गैरइरादतन हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 50,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.02.2024 को वादी प्रवीण कुमार पुत्र रुपचन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त हुक्मचन्द पुत्र रुपचन्द नि0 ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की के पिता की डण्डा मारकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0-24/2024 धारा- 304 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1766/24 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते* ***माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 24.07.2026 को अभियुक्त हुक्मचन्द पुत्र रुपचन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर को थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0-24/2024 धारा- 304 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 50,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री विक्रम सिंह।

विवेचक- उप निरीक्षक श्री लोकेश कुमार।

पैरोकार- है0का0 788 नौशाद थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक 24.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. मोनेन्द्र पुत्र ऋषिपाल 2. मुनेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र ओमकार निवासीगण मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर द्वारा वादी के पोते अर्जुन को रोककर उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फावडे से वार कर गम्भीर रुप से घायलकर देना तथा वादी के पोते प्रिंयाशु को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0-223/26 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/126(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***मुनेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र ओमकार निवासीगण मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*** *को ग्राम मुण्डीखेडी के जंगल में स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। जिसकी निशांदेही/कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 फावडा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुनेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र ओमकार निवासीगण मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *01 फावड़ा (घटना मे प्रयुक्त)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*
2. *रि0आ0 1902 दलवीर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*
3. *रि0आ0 1914 विशाल थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।*

दिनांक- 24.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 अभियुक्तगण 1. विजय पुत्र राज बहादुर निवासी मौहल्ला काहरान खालापार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर व 2. गुलशन पुत्र पिन्टू उर्फ अजय कश्यप निवासी मौहल्ला काहरान खालापार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत आमदा फसाद करते हुए पुरानी चुंगी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. विजय पुत्र राज बहादुर निवासी मौहल्ला काहरान खालापार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
2. गुलशन पुत्र पिन्टू उर्फ अजय कश्यप निवासी मौहल्ला काहरान खालापार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. रि0क0 1336 विदित राज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।